म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन भोपाल.

क./बोर्ड/यो./गै.त./भोज./80 पार्ट/2019/81 भोपाल, दिनांक 27/02/2019

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति.................................(समस्त),
जिला...............................(म0प्र0)

विषय :— मण्डी प्रांगण में कृषकों को भोजन उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ :— कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक/मण्डी/प्रांगण/विविध/45/44/3951—3952 दिनांक 26.12.2008 एवं मण्डी/प्रांगण/विविध/केन्टीन/45/48/3956—3957 दिनांक 30.12.2008

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य शासन के निर्णय अनुसार मण्डी प्रांगणों/उपमंडी प्रांगणों में कृषि उपज का विक्रय के लिये आने वाले कृषकों को रूपये 5/— प्रति थाली भोजन मण्डी प्रांगण में उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालयीन संदर्भित परिपत्र क्रमांक 3956—57 भोपाल दिनांक 30.12.2008 द्वारा भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु परिपत्र के बिन्दु क्रमांक (01) में निविदायें आमंत्रित की जाकर ठेकेदार का चयन किया जावेगा, उल्लेखित किया गया था।

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (01) को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है। परिपत्र के शेष उल्लेखित बिन्दु 02 से 08 यथावत रहेगें।

इसी प्रकार संदर्भित परिपत्र क्रमांक./मण्डी/प्रांगण/विविध/45/44/3951—52 दि. 26.12.2008 द्वारा मण्डी प्रांगण में निर्मित कृषक विश्राम गृह एवं केन्टीन/भोजनालय को ठेके पर दिये जाने संबंधी निर्देश/शर्तें जारी की गई थी।

अतः उपरोक्त के संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में निर्मित कृषक विश्राम गृह/केन्टीन/कृषक भोजनालय के संचालन के लिये चयनित होता है या ठेका लेता है, वही ठेकेदार कृषकों को अधिकतम 20/— प्रति थाली दर पर भोजन उपलब्ध करायेगा जिसमें से रूपये 5/— प्रति थाली किसान से लिया जावेगा एवं शेष रूपये 15/— मण्डी समिति वहन करेगी।

उपरोक्त निर्देश ''अ'' एवं ''ब'' वर्ग की मण्डी समितियों के लिये प्रभावी रहेगें एव ''स'' एवं ''द'' वर्ग की मण्डी समितियां के लिये पृथक से निर्देश जारी किये जायेगें।

उपरोक्तानुसार कृषक भोजन व्यवस्था की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक—सह—आयुक्त,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

क्र./बोर्ड/यो./गै.त./भोज./80/18–19/82 भोपाल, दिनांक 27/02/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी सह अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
3. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक(समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल.
4. प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल.
5. संयुक्त संचालक/उपसचांलक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
6. कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग समस्त।
7. भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति ....(समस्त) जिला ....।

प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.